



# बैंक ऑफ महाराष्ट्र

जबलपुर जोनल ऑफिस, राइट टाउन, जबलपुर- 482 002  
फोन : 0761-2480065, 2480067, 2480068  
ई-मेल : marc\_jab@mahabank.co.in

## सिक्वराइटेजाइशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत ई-ऑक्शन के द्वारा विक्रय की आम सूचना)

समस्त आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया नीचे दर्शित वसूली हेतु अधिग्रहीत संपत्ति जहां है जैसी है के आधार पर अधोग्रहित विनिर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अंतर्गत (सरफेसी अधिनियम 2002) के तहत ई-नीलामी द्वारा विक्रय की जाएगी।

क्र.	ऋणी / जमानतदार का नाम एवं पता	बकाया राशि जिसकी वसूली हेतु संपत्ति विक्रय की जा रही है	संपत्ति का विवरण	बंधक संपत्ति की चतुरसीमा	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि की राशि
1.	शाखा : परासिया 1. श्री रियाज मोहम्मद पिता श्री ग्यास मोहम्मद (ऋणी) अ. शॉप नं. 16, वार्ड नं. 10, न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) 480441 ब. वार्ड नं. 6, बी.जी. साइडिंग, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) 480441 2. श्री ताज मोहम्मद पिता श्री ग्यास मोहम्मद वार्ड नं. 6 बी.जी. साइडिंग, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) 480441	रु. 2,75,058/- उस पर अनुबंधित दर से ब्याज दिनांक 01.09.2018 से + दंडात्मक ब्याज एवं अन्य खर्च	श्री रियाज मोहम्मद पिता श्री ग्यास मोहम्मद के स्वामित्व की संपत्ति शॉप नं. 16, कमर्शियल काम्प्लेक्स स्थित बी नं. 22, प.ह.नं. 14, खसरा नं. 326/1 वार्ड नं.10, क्षेत्रफल 155 वर्गफुट, न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) 480441	चतुरसीमा उत्तर : काम्प्लेक्स गली दक्षिण : 5.36 मीटर प्रस्तावित सड़क, काम्प्लेक्स रोड पूर्व : शॉप नं. 14 पश्चिम : शॉप नं 17	आरक्षित मूल्य 6,82,000/- (रु. छे लाख ब्यासी हजार) धरोहर राशि 68,200/- (रु. अड़सठ हजार दो सौ) बोली वृद्धि की राशि रु 20,000/- (रु. बीस हजार )
2.	शाखा : परासिया मेसर्स क्लासिक कटपीस सेंटर द्वारा प्रो.श्री रियाज मोहम्मद पिता श्री ग्यास मोहम्मद शॉप नं. 16, कमर्शियल बिल्डिंग, न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) पिन-480441 2. श्री रियाज मोहम्मद पिता श्री ग्यास मोहम्मद, वार्ड नं. 6, वेयर हाउस के पास बी.जी. साइडिंग, परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) पिन-480441	रु. 3,77,637/- उस पर अनुबंधित दर से ब्याज दिनांक 01.09.2018 से + दंडात्मक ब्याज एवं अन्य खर्च			

निविदा जमा करने/के.वाय.सी. दस्तावेज/ईएमडी पूरा जमा करने की दिनांक व समय - 13.12.2019 को शाम 05.00 बजे तक

ई-नीलामी का दिनांक एवं समय, बोली वृद्धि प्रत्येक 5 मिनट - 15.12.2019 को सुबह 11.00 बजे से शाम 03.00 बजे तक

उपरोक्त संपत्तिया "जहाँ है जैसी है" तथा जिस हालात में है के आधार पर है तथा ई -नीलामी "ऑन लाइन " के द्वारा संचालित की जावेगी। नीलामी विक्री /बोली ऑनलाइन ई-नीलामी से वेबसाइट <https://bom.auctiontiger.net> के द्वारा होगी।

(1) इच्छुक क्रेताओं /बोलीदारों को सत्यंकार जमा राशि (ईमडी) की राशि या तो एनईएफटी (NEFT)/आरटीजीएस(RTGS) के द्वारा खाता क्रमांक 60164541683, खाता का नाम अंबलिक कार्यालय, भुगतान खाता IFSC कोड MAHB0000341, बैंक ऑफमहाराष्ट्र, जबलपुर मुख्य शाखा में करना होगा। अपना नाम <https://bom.auctiontiger.net> में रजिस्टर करके वे M/s. e-Procurement Technologies Limited - Auction Tiger में रजिस्टर करके यूजर आईडी व फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। (2) ई-नीलामी के संदर्भ में इच्छुक वैध ईमेल पता तथा पासवर्ड होना चाहिए। योग्य बोलीदाताओं के नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र जोनल ऑफिस, जबलपुर द्वारा, पोर्टल <https://bom.auctiontiger.net> पर ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए पहचाने जाएंगे। M/s. e-Procurement Technologies Limited - Auction Tiger, B-704, Wall Street - II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Gujarat (India), पात्र बोलीदाताओं के पैन के उचित सत्यापन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करेगा। (3) ई-नीलामी की विस्तृत प्रक्रिया और नियमों और शर्तों के लिए इच्छुक बोलीदार [www.bankofmaharashtra.in](http://www.bankofmaharashtra.in) या [www.bom.auctiontiger.net](http://www.bom.auctiontiger.net) पर जा सकते हैं और बोली फार्म के साथ विस्तृत ई नीलामी नियम, विनियम और नियम और शर्तें दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। बोलीदाता विवरण के लिए [mp@auctiontiger.net](mailto:mp@auctiontiger.net), [cmmarc\\_jab@mahabank.co.in](mailto:cmmarc_jab@mahabank.co.in), [brmgr1940@mahabank.co.in](mailto:brmgr1940@mahabank.co.in) पर भी लिख सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु - 1-श्री कौशिक कुमार 9144138491. 2- राजकिशोर रंजीत. 8819977788, 3- मनीष सिंह 9873894606 से संपर्क कर सकते हैं।

### सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की वैधानिक सूचना

कर्जदार /प्रतिभूति देने वालों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऊपर दर्शित राशि के साथ उस दिनांक तक का ब्याज एवं अनुलग्नक खर्चों का भुगतान नीलामी तिथि के पूर्व कर दें। इसके पालन ना होने पर संपत्ति नीलाम / बेची जावेगी तथा बकाया राशि यदि कोई होगी तो मय ब्याज व खर्चों के वसूल की जावेगी।

स्थान -जबलपुर

दिनांक -13.11.2019

सभी कर्जदारों का संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जबलपुर अंचल